दिनांक 10.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 11 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत 50 हजार से अधिक अभियुक्तों को करायी गयी सजा

मामुख्यमंत्री 0 जी उत्तर प्रदेश ,द्वारा अपराधअपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध जीरो , टालरेन्स की नीति तथा अपराध होने परअभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं मा न्यायालय में प्रभावी 0पैरवी कर कठोर सजा सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा इस पर और अधिक बल देते हुए **मिशन मोड** में कार्यवाही किये जाने के उद्वेश्य से प्रदेश में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की पैरवी कराकर अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने के उद्वेश्य से दिनांक 01.07.2023 से प्रदेश में **"आपरेशन कनविक्शन"** अभियान संचालित कराया जा रहा है। इस अभियान को प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित किये जाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अभियान के अन्तर्गत माफिया महिला एवं बच्चों से ,सम्बन्धित अपराधसनसनीखेज अपराध , अभियोगों को प्रतिमाह 20 – 20 अवैध धर्म परिवर्तन एवं अन्य अपराधों के ,गोकशी ,डकैती ,लूट ,जैसे हत्या चिन्हित कर सजा दिलाने क ो प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया है। अभियान के प्रभावी संचालन हेतु अपर पुलिस महानिदेशक के पर्यवेक्षण में एक पोर्टल 0प्र0उ ,अपराध ,**"**इन्वेस्टीगेशनप्रासिक्यूशन एवं , कनविक्शन**"** प्रयोग में लाया जा रहा हैवर्ष क 01 जिसमें समस्त सजाओं व चिन्हित प्रकरणों की विगत , ी प्रतिदिन की प्रगति को जनपदों कमिश / ्नरेटों द्वारा फीड किया जाता है।

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उक्त अभियान की सफलता के सम्बन्ध में कहा गया कि:-

" माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन मे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत माफिया, महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराध, और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित कार्यवाही कर कठोर सजा सुनिश्चित करने के प्रयास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।

'Justice delayed is justice denied' **की प्रथा को इतिहास बनाकर हम** 'Swift justice is true justice' **की व्यवस्था उत्तर प्रदेश मे स्थापित कर चुके हैं। अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर, वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और अभियोजन विभाग के समन्वय से न्यायालय मे प्रबल पैरवी कर हम उनको न्यूनतम समय मे दण्डित करा रहे हैं ताकि जनता के मन में आपराधिक न्याय प्रणाली और पुलिस के प्रति विश्वास कायम रहे। 13 महीने 10 दिनों में 50,010 अपराधियों को सजा दिलाना हमारे संकल्प और कार्यकुशलता का स्पष्ट प्रमाण है।"**

- **अभियान में अब तक के दिलाये जाने वाले अभियुक्तों की संख्या का "अपराध श्रेणीवार सजा" -विवरण निम्न है**

श्रेणी	अभियुक्त
माफिया	87
पाक्सो महिला सम्बन्धी /	6944
गम्भीर एवं सनसनीखेज	15541
अन्य	27438
कुल सजा	**50,010**

- अभियान के दौरान **दोषियों को मृत्युदण्ड 44 मामलों में 29** एवं **मामलों में 2453 दोषियों 4953 को आजीवन कारावास** की सजा करायी गयी। आम जनमानस में कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु यह एक बहुत अच्छी उपलब्धि है।

सजा का प्रकार	कुल प्रकरण	कुल व्यक्ति (सजा)
मृत्युदण्ड	**29**	**44**
आजीवान कारावास	**2453**	**4953**
वर्ष अथवा अधिक की 20 सजा	**700**	**849**
15 **से वर्ष की सजा 19**	**45**	**63**
वर्ष की सजा 14 से 10	**1930**	**2935**
वर्ष की सजा 09 से 05	**2901**	**4553**
वर्ष से कम की सजा 05	**28647**	**36613**
कुल सजा	**36705**	**50010**

<u>Highlights of Operation Conviction</u>

- **01.07.2023** से **09.09.2024** तक **72,815** प्रकरणों को चिन्हित कर दिन प्रतिदिन सुनवाई हेतु नियत कराया गया
- कुल **39028** चिन्हित प्रकरणों को निर्णीत कराया गया है
- **36,375** चिन्हित प्रकरणो को दोषसिद्ध कराया गया एवं मात्र **2,653** प्रकरण दोषमुक्त हुये है
- चिन्हित प्रकरणों में **50010** अभियुक्तों को कारावास की सजा दिलायी गयी है
- इस प्रकार **चिन्हित अभियोगों** में **Conviction Rate 93.20 %** रहा, जो **विश्वस्तरीय** है।
- अभियान के तहत **प्रति कार्यदिवस** में लगभग **117 चिन्हित प्रकरणों का निस्तारण** एवं लगभग **150 अपराधियों को** उपरोक्त चिन्हित प्रकरणों में कारावास की सजा करायी गयी
- इस प्रकार मा न्यायालय द्वारा 0**कुल 150 व्यक्तियो को प्रतिदिन 50010 कार्य दिवस मे 334 व्यक्तियों** की औसत से सजा की गयी।

दिनांक 10.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 12/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना चांदीनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 09.09.2024 को थाना चांदीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त हर्ष घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना चांदीनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हर्ष निवासी ग्राम डोला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत, हालपता ग्राम खैला थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 10.09.2024 को थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम परोरहा नहर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–निसार 2–आदित्य घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 मोबाइल फोन, 02 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानो में 05–05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामकोला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामकोला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निसार निवासी धोधरही थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

2–आदित्य निवासी बभनौली थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–03 मोबाइल फोन।

2–02 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद मेरठ/थाना परतापुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि बरामद**

दिनांक 09.09.2024 को थाना परतापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार भूडबराल बम्बा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नितिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना परतापुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना परतापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नितिन निवासी शिवपुरम थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना कोतवाली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 28 हजार 900 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 ई—रिक्शा, चाँदी के प्लेट आदि बरामद**

दिनांक 10.09.2024 को थाना कोतवाली व थाना सिधारी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बागलखराव पुलिया के पास से 06 अभियुक्तों 1—अमन 2—दीपक 3—रोशन अली उर्फ राजा 4—सरफराज 5—सहबान 6—मो0हुसैन उर्फ झिनकू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया एवं 04 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 28 हजार

900 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 ई–रिक्शा, चाँदी के प्लेट आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोटर साइकिल, ई–रिक्शा आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन निवासी कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

2–दीपक निवासी कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

3–रोशन अली उर्फ राजा निवासी कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

4–सरफराज निवासी कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

5–सहबान निवासी बड़ागाँव थाना घोसी जनपद मऊ, हालपता कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

6–मो0हुसैन उर्फ झिनकू निवासी दर्जी मुहल्ला कस्बा व थाना मरदह जनपद गाजीपुर, हालपता बंधा रोड थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–चोरी के 28 हजार 900 रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 ई–रिक्शा, चाँदी के प्लेट आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा देहात /थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 कार, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 09/10.09.2024 को थाना खुर्जा देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बटवारा से चौकी किरियावली के तरफ बाग के पास

बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शकील उर्फ हकला 2–राशिद घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–बुखारी खान 4–सौरभ कुमार सहित गिरफ्तार किया गया एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मामन नहर पटरी के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 5–वकील उर्फ काले घायल सहित अभियुक्त 6–सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 05 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 कार, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शकील उर्फ हकला के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त वकील उर्फ काले के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शकील उर्फ हकला निवासी पीरखान थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

2–राशिद निवासी बझेडा थाना कपूरपुर जनपद हापुड़।

3–बुखारी खान निवासी मो0आरापुरी थाना कैराना जनपद शामली।

4–सौरभ कुमार निवासी मोहल्ला गड़ी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

5–वकील उर्फ काले निवासी मो0पीरखाँ कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

6–सलमान निवासी आरापुरी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1–05 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 कार, 02 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद फतेहपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 05 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद फतेहपुर पुलिस ने अभियुक्त शेख एजाज अहमद सिद्दीकी उर्फ बॉक्सर पुत्र नसीर अहमद सिद्दीकी निवासी मो0 09 पंनी थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 05 करोड़ रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना हसनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/326ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मुख्तयार 2–अंसार को आजीवन कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना सिंधौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना सिंधौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संजीव को आजीवन कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/328 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 10.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 13/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कानून–व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, मिशन शक्ति आदि के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 10.09.2024 को समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त/परिक्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी उ0प्र0 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून–व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, मिशन शक्ति, जनशिकायतों के निस्तारण आदि के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के साथ मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश दिये गयेः–

- थाने स्तर पर सक्रिय टॉप–10 अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी की जाये तथा पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान क्षेत्र में रहने वाले हिस्ट्रीशीटर व सक्रिय अपराधियों को निरन्तर रूप से चेक किया जाये।
- माफियाओं एवं संगठित अपराधियों तथा उनके गिरोह के सदस्यों के क्रियाकलापो पर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की जाये।
- सभी जनपदो के व्यपारिक संगठनो के साथ नियमित बैठक कर उनकी समस्याओ का सम्यक निस्तारण कराया जाये।
- थानो पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर की प्रवृष्ठियों का गहराई से परिशीलन कर आगामी त्यौहार के दृष्टिगत विगत वर्षो अथवा वर्तमान में कोई समस्या दृष्टिगोचर हो तो उसका समय से निस्तारण कराया जाये।
- भीड़–भाड वाले क्षेत्रो में पुलिस विजिविलटी बनाये रखा जाये तथा नियमित रूप से पैदल गस्त **(Foot Petroling)** के दौरान बाजारो, स्कूलो, सर्राफा मार्केटो, बैंको व एटीएम के आसपास प्रभावी चेकिंग करायी जाये।
- महिलाओं एवं बच्चो की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओ एवं बच्चो सम्बन्धी अपराधों को गम्भीरता से लेकर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी करें एवं मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर अभियुक्तों को सजा दिलाया जाये।

- महिला एवं बीट पुलिस कर्मियों को निरन्तर बीट में भेजा जाये तथा महिला आरक्षियों की क्षमताओ का वेहतर प्रयोग किया जाये, महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बीट में महिलाओं से जनसंवाद कर उनकी समस्याओ/शिकायतो को गम्भीरता से लेते हुए समय से निस्तारण कराया जाये।
- थाने पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क को संक्रिय रखा जाये, तथा आने वाली महिलाओ की समस्याओं के निस्तारण में महिला हेल्प डेस्क का समुचित प्रयोग किया जाये।
- सभी कमिश्नरेट/जनपद प्रभारी द्वारा अपने–अपने जनपदो में पड़ने वाले रेलवे ट्रैक के वर्नेबल क्षेत्रों को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।
- समस्त अधिकारीगण समय से कार्यालय में उपस्थित रह कर जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए उनका त्वरित निस्तारण कराये तथा उच्च अधिकारी द्वारा निरन्तर इसकी समीक्षा की जाये तथा जनप्रतिनिधियों से निरन्तर संवाद बनाये रखा जाये।
- मानव सम्पदा पोर्टल पर डाटा फीडिंग हेतु बनाये गये नोडल अधिकारी समय से कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
- वांछित/मफरूर अपराधियों के विरूद्ध कार्ययोजना तैयार कर अधिक से अधिक गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये।
- गोवध/गो–तस्करी की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा गोवध के प्रकरणो में गम्भीरता से विवेचनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा उक्त घटना में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश